प्रेस विज्ञप्ति

**11/06/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) (जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था) के पूर्व अधिकारियों सुनील कुमार बंसल और राम निवास को 9/06/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचएसवीपी बैंक खातों में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया है। 2019-2024 की अवधि के दौरान, राम निवास हरियाणा से विधायक भी थे।

ईडी ने पुलिस स्टेशन सेक्टर-7, पंचकूला (हरियाणा पुलिस) द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर एचएसवीपी के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। इस शिकायत के माध्यम से, एचएसवीपी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), चंडीगढ़ में एचएसवीपी के बैंक खाते के माध्यम से धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान हुआ है। एफआईआर के अनुसार, 2015 से 2019 की अवधि के दौरान, एचएसवीपी के उक्त बैंक खाते से बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ विशेष पार्टियों के पक्ष में 70 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के डेबिट लेनदेन बार-बार जारी किए गए, जिससे एचएसवीपी को 70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एचएसवीपी की आंतरिक जांच के दौरान, एचएसवीपी द्वारा पाया गया कि ऐसा कोई बैंक खाता एचएसवीपी की नकद शाखा या आईटी विंग में नहीं दर्शाया गया था, जिसका अर्थ है कि एचएसवीपी को सुनील कुमार बंसल और राम निवास द्वारा गुप्त तरीके से धोखा दिया गया था।

जांच के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी सिर्फ एक बैंक खाते या 70 करोड़ रुपये तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी है जिसे सुनील कुमार बंसल और राम निवास ने अंजाम दिया है।

ईडी ने तीन अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करके 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में से 18.06 करोड़ रुपये की संपत्ति की पुष्टि माननीय न्यायाधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा की गई है।

सुनील कुमार बंसल और राम निवास को गिरफ्तार करने के बाद माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय**,** पंचकूला ने ईडी को **5** दिनों की हिरासत रिमांड दी है।

आगे की जांच जारी है।